

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./2005/19बी जयपुर, दिनांक : 16-02-2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)/परि/टैक्स/एच.क्यू./95/19 क, दिनांक 28.9.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से, इससे संलग्न सारणी के स्तंभ सं. 2 में यथा-विनिर्दिष्ट ड्राइवर को छोड़कर चार तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यानों के मामले में एकमुश्त कर की दर, इसके स्तंभ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	मोटर यानों के वर्ग का वर्णन	एकमुश्त कर
1	2	3
1.	ड्राइवर को छोड़कर दो तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 3000/- रु. के अध्यक्षीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 8%
2.	ड्राइवर को छोड़कर तीन तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 6000/- रु. के अध्यक्षीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 9%
3.	ड्राइवर को छोड़कर चार तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 8000/- रु. के अध्यक्षीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 10%

परन्तु राज्य में या बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो एकमुश्त कर का परिनिर्धारण, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को

घटाकर, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 7 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10% की दर से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : कर की संगणना के लिए यानों की लागत :

- (i) नये यान/चैसिस के मामले में, क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम-बाह्य कीमत होगी।
- (ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों और स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देने के मामले में वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है, इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।
- (iii) राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की 1 अप्रैल को इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

टिप्पण :- (1) इस प्रयोजन के लिए, किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत और किसी भी राज्य (राजस्थान सहित)/संघ राज्यक्षेत्र में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये यानों के सम्बन्ध में उस वर्ष को, जिसमें यान का उपयोग किया गया था या उसे उपयोग के लिए रखा गया था, ऐसा माना जायेगा मानो यान को इस राज्य में उपयोग में लिया गया था या उपयोग के लिए रखा गया था, बशर्ते ऐसे यान पर शोध्य कर सम्बन्धित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन संदत्त कर दिया गया है और ऐसे स्वामी या यान का नियंत्रण या कब्जा रखने वाला व्यक्ति कराधान अधिकारी को अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश कर दे।

- (2) किसी मोटर स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी कर या शास्ति, जो इस

अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, संदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

क्रमांक : एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./2005/19बी

जयपुर, दिनांक : 16-02-2006

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16-02-2006 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।

शासन उप सचिव